

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पालीटेक्निक)–2021 की काउन्सिलिंग प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थियों के लिए विस्तृत निर्देश

संयुक्त प्रवेश परीक्षा–2021 के परिणाम के आधार पर अभ्यर्थियों को संस्था व पाठ्यक्रम का आवंटन उनकी मेरिट, उनके द्वारा दिये गये विकल्पों व आरक्षण के आधार पर आनलाइन काउन्सिलिंग वेबसाइट (<http://jeecup.nic.in>)के माध्यम से किया जायेगा। छात्र अपनी लॉगिन आईडी, पासवर्ड तथा मोबाइल न०(जो काउन्सिलिंग रजिस्ट्रेशन में दें) सुरक्षित रखें। सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं एवं ओटीपी मोबाइल न० पर प्रेषित होगी। अभ्यर्थियों की काउन्सिलिंग सम्बन्धी समस्त ओटीपी, आवंटन–पत्र, पासवर्ड, परीक्षा परिणाम इत्यादि सूचनाएं एवं अभिलेख संदेश ऐप (**Sandes App**) पर भी उपलब्ध रहेंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो कि स्मार्ट फोन रखते हैं, भारत सरकार के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित इस ऐप को **android** उपयोगकर्ता **Google Playstore** तथा **iOS** उपयोगकर्ता **App store** से डाउनलोड कर प्रयोग कर सकते हैं। छात्रों को यह सलाह दी जाती है कि काउन्सिलिंग हेतु दिये गये निर्देशों की प्रिन्ट कॉपी लेकर पूरी तरह से निर्देशों का स्वयं अध्ययन कर लें। प्रवेश पत्र, स्कोर कार्ड, रजिस्ट्रेशन फार्म, रजिस्ट्रेशन शुल्क रु० 250/–की रसीद, जमा पूर्ण शुल्क की रसीद व सीट एलाटमेंट लेटर की एक–एक प्रति अपने पास अलग से सदैव सुरक्षित रखें।

काउन्सिलिंग के लिए अभ्यर्थियों हेतु सामान्य निर्देश

1. सभी प्रक्रियाएं दिये गये काउन्सिलिंग शिड्यूल के समयान्तर्गत रहेंगी। शिड्यूल <http://jeecup.nic.in> पोर्टल पर उपलब्ध है।
2. काउन्सिलिंग प्रक्रिया विभिन्न 9 चरणों में आनलाइन सम्पन्न की जायेगी। काउन्सिलिंग का कोई भी चरण ऑफलाइन नहीं होगा।
3. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि काउन्सिलिंग के समय उनके पास न्यूनतम शैक्षिक अर्हता का अंक पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र (ई०डब्ल्यू०एस०/ओ०बी०सी०/एस०सी०/एस०टी०) एवं आरक्षण उपवर्ग प्रमाण–पत्र (दिव्यांग/सैनिक आश्रित/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित) जो लागू हो, नवीनतम मूलरूप में उपलब्ध हो। डाक्यूमेंट वेरीफिकेशन में मूल प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी।
4. काउन्सिलिंग में रजिस्ट्रेशन शुल्क तथा प्रवेश शुल्क अभ्यर्थियों के लॉगिन में उपलब्ध लिंक के माध्यम से आनलाइन ही जमा होगा।
5. काउन्सिलिंग में भाग लेने के लिए अर्ह अभ्यर्थी को वेबसाइट <http://jeecup.nic.in> पर अपने विवरण (रोल नम्बर, एप्लीकेशन नम्बर, नाम व जन्मतिथि) देने होंगे, जिनके सही पाये जाने पर एक फार्म खुलेगा जिसमें अभ्यर्थी द्वारा अपने सम्पर्क विवरण तथा नया पासवर्ड आदि अभ्यर्थी द्वारा भरा जायेगा। अभ्यर्थी को यह घोषणा करनी होगी कि उसके द्वारा दिये गये न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, आरक्षण (नवीनतम) व अन्य सम्बन्धित प्रमाण–पत्र के मूल अभिलेख उसके पास उपलब्ध हैं।
6. रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा किसी भी जनपद के एक सहायता केन्द्र को डाक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए चुना जायेगा। अभ्यर्थी के प्रवेश सम्बन्धी समस्त कार्य (प्रथम चरण से पंचम चरण तक की काउन्सिलिंग के लिए) सम्बन्धित सहायता केन्द्र के माध्यम से ही होना है, अतः इसका चुनाव अभ्यर्थी अपनी सुविधानुसार करें। अभिलेख सत्यापन (डाक्यूमेंट वेरीफिकेशन) के अतिरिक्त अन्य सभी काउन्सिलिंग सम्बन्धी कार्य अभ्यर्थी कहीं से भी पूर्ण कर सकता है।
7. अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन के समय यदि उसके जन्मतिथि, लिंग, आरक्षण वर्ग, उपवर्ग व राज्य अर्हता में त्रुटि है, तो उसे परिवर्तित कर सकता है। राज्य अर्हता के सम्बन्ध में वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण–पुस्तिका के पृष्ठ–4 पर अंकित बिन्दु–3 पर दिये गये विवरण को अवश्य पढ़ लें। उत्तर प्रदेश की अर्हता न रखने वाले अभ्यर्थी चतुर्थ चरण से काउन्सिलिंग के लिए पात्र होंगे।
8. रजिस्ट्रेशन के पश्चात काउन्सिलिंग फीस जमा करनी होगी। काउन्सिलिंग फीस हेतु रु० 250/– दिये गये विकल्पों यथा– नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड माध्यम से जमा करना होगा। **प्रत्येक अभ्यर्थी से काउन्सिलिंग फीस समस्त चरणों हेतु एक ही बार ली जायेगी।** काउन्सिलिंग फीस किसी भी दशा में वापस अथवा हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
9. जिन अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन कार्य सम्पन्न हो गया है, वह अभ्यर्थी अपनी च्वाइस फिलिंग का कार्य लॉगिन आईडी व पासवर्ड की सहायता से करेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को उसके ग्रुप तथा आरक्षण वर्ग के अनुसार संस्था व पाठ्यक्रम के विकल्प दिखेंगे, जिसमें वह अपने वरीयताक्रम के आधार पर विकल्पों का चयन कर सकता है। चयन का क्रम ऊपर से नीचे की ओर वरीयता के आधार पर माना जायेगा। अभ्यर्थी चुने गये विकल्पों को अपने वरीयताक्रम के

अनुसार परिवर्तित कर सकेगा। विकल्प भरने का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा विकल्पों की सूची को अपने पासवर्ड द्वारा लॉक किया जायेगा। विकल्प लॉक करने के उपरान्त उस चरण में कोई भी विकल्प बदले नहीं जा सकते हैं। काउन्सिलिंग के प्रथम तीन चरणों में केवल एक बार असीमित विकल्प भरने की सुविधा होगी। द्वितीय एवं तृतीय चरण में केवल नवीन पंजीकृत अभ्यर्थियों को ही विकल्प भरने की सुविधा मिलेगी। द्वितीय अथवा तृतीय चरण में पूर्व के चरण में भरे गये विकल्पों के आधार पर ही सीट आवंटन किया जायेगा।

चतुर्थ एवं पंचम चरण में केवल 10 विकल्प का चयन किया जा सकेगा तथा चतुर्थ चरण में भरे गये विकल्पों के आधार पर ही पंचम चरण का सीट आवंटन किया जायेगा।

छठवें चरण से अन्तिम चरण तक केवल 01 विकल्प का चयन किया जा सकेगा। सीट आवंटन प्राप्त न होने की दशा में अभ्यर्थी अपने सीट विकल्प को परिवर्तित कर सकेगा।

10. **सीट आवंटन** –प्रत्येक चरण में निर्धारित तिथि को सीट आवंटन होगा। अभ्यर्थियों का आवंटन मेरिट, संस्था व पाठ्यक्रमों के विकल्पों, आरक्षण तथा सीटों की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा। सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी की लॉगिन आईडी0 पर उसका आवंटन दिया जायेगा। प्रथम एवं द्वितीय चरण के सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी को अपने लॉगिन से **Freeze** अथवा **Float** का विकल्प चुनना होगा। प्रथम एवं द्वितीय चरण के सीट आवंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी **Float** का विकल्प चुनकर निर्धारित सिक्वोरिटी धनराशि रू0 3000/- आनलाइन माध्यम से जमा करता है तो वह अगले चरण के लिए अर्ह हो जायेगा। **Float** विकल्प का चयन न करने वाले अथवा विकल्प चयन के पश्चात सिक्वोरिटी धनराशि न जमा करने वाले अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के तृतीय चरण तक के लिए प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे। तृतीय चरण में सीट आवंटन के पश्चात सभी अभ्यर्थी **Freeze** माने जायेंगे।

यदि अभ्यर्थी **Freeze** का विकल्प चुनता है तो उसे अपने चयनित सहायता केन्द्र/डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन सेन्टर पर जाकर अपने सभी मूल अभिलेखों का सत्यापन कराना होगा। अभिलेखों के सत्यापन के तुरन्त बाद अभ्यर्थी के लॉगिन पर चयनित पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित सम्पूर्ण शुल्क आनलाइन जमा करना होगा। जमा किये जाने वाले प्रवेश शुल्क की धनराशि लिंक पर प्रदर्शित होगी। प्रवेश शुल्क दिये गये विकल्पों यथा- नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से प्रत्येक चरण हेतु निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा करना होगा। अन्यथा की स्थिति में उसको आवंटित सीट निरस्त हो जायेगी और वह तृतीय चरण तक की काउन्सिलिंग में भाग नहीं ले सकेगा। तृतीय चरण के आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी को सहायता केन्द्र पर उपस्थित होकर डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन कराकर निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।

चतुर्थ चरण से अग्रिम सभी चरणों में आवंटन पाने वाले अभ्यर्थी स्वतः **Freeze** हो जायेंगे। अतः चतुर्थ चरण से अन्तिम चरण तक आवंटन के पश्चात डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात अभ्यर्थी के लॉगिन पर प्रदर्शित लिंक के माध्यम से प्रवेश शुल्क आनलाइन जमा करना भी अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया पूर्ण न करने पर अभ्यर्थी इस वर्ष की काउन्सिलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया से पूर्णतया बाहर हो जायेगा।

11. **डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन** –प्रथम चरण से पंचम चरण तक अभ्यर्थियों को सीट आवंटन के पश्चात अभिलेखों के सत्यापन के लिए उनके द्वारा चयनित सहायता केन्द्रों पर निर्धारित अवधि में स्वयं सभी मूल अभिलेखों तथा इसकी स्व:प्रमाणित छायाप्रति तथा दो फोटोग्राफ के साथ उपस्थित होना होगा। **छठवें चरण से अन्तिम चरण तक अभिलेखों का सत्यापन आवंटित संस्था में जाकर निर्धारित अवधि में अभ्यर्थियों द्वारा कराया जायेगा।**

डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के समय यदि अभ्यर्थी के प्रमाण-पत्रों में कमी पायी जाती है तो निम्न प्रकार के नियमों के अनुसार सहायता केन्द्र प्रभारी/काउन्सलर द्वारा निर्णय लिये जायेंगे।

1. **यदि कमी इस प्रकार की है, जिसका निराकरण सम्भव नहीं है,** यथा-शैक्षिक योग्यता, आयु (01.07.2021 को न्यूनतम 14 वर्ष), तो अभ्यर्थी को आवंटित सीट निरस्त हो जायेगी तथा अभ्यर्थी सम्पूर्ण काउन्सिलिंग प्रक्रिया से इस वर्ष के लिए बाहर हो जायेगा।
2. **यदि कमी इस तरह की है, जिससे अभ्यर्थी के आवंटित सीट पर प्रभाव पड़ता है** यदि अभ्यर्थी को किसी आरक्षण वर्ग के अन्तर्गत निर्धारित उपवर्ग (MP, FF, PH) से सीट आवंटित होती है, परन्तु अभ्यर्थी के पास आरक्षण (वर्ग/उपवर्ग) का प्रमाण-पत्र नहीं है तो उसके आरक्षण वर्ग/उपवर्ग को निम्नानुसार अभ्यर्थी की लिखित सहमति से परिवर्तित कर दिया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी अगले चरण की काउन्सिलिंग के लिए पात्र होगा, परन्तु अभ्यर्थी का आवंटन उस चरण में निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे अगले चरण में बदले हुए आरक्षण वर्ग/उपवर्ग के अनुसार काउन्सिलिंग हेतु अर्ह माना जायेगा।

SC/ST – MP/FF/PH	—————>	SC/ST	—————>	GENERAL
OBC-NCL – MP/FF/PH	—————>	OBC-NCL	—————>	GENERAL
GEN EWS – MP/FF/PH	—————>	GEN EWS	—————>	GENERAL
GEN [REDACTED] – MP/FF/PH	—————>		—————>	GENERAL

किसी भी अभ्यर्थी का सामान्य वर्ग से आरक्षण वर्ग में तथा आरक्षित वर्ग से अनारक्षित उपवर्ग में परिवर्तन सम्भव नहीं है। **Domicile Status** उत्तर प्रदेश से अन्य राज्य में परिवर्तित किये जाने पर अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के चरण-1, 2 व 3 से बाहर हो जायेगा, परन्तु चरण-4 से पुनः अर्ह हो जायेगा।

12. **संस्था शुल्क** – अभिलेख सत्यापन के उपरान्त अभ्यर्थी आवंटित संस्था एवं पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित शुल्क आनलाइन माध्यम से जमा करेंगे। राजकीय एवं अनुदानित संस्थाओं में प्रवेश की दशा में सम्पूर्ण शुल्क जमा करना होगा। निजी क्षेत्र की संस्थाओं में प्रवेश की दशा में रू0 3000/- शुल्क जमा कर प्रवेश लिया जा सकेगा तथा शेष शुल्क सीधे संस्था में जमा करना होगा। विभिन्न संस्थाओं हेतु निर्धारित शुल्क का विवरण afrcup18.in एवं विवरण-पुस्तिका-2021 में प्रदर्शित है।

यदि किसी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी धनराशि की मांग की जाती है तो अभ्यर्थी प्रत्येक जनपद के राजकीय एवं अनुदानित पालीटेक्निक संस्था में स्थापित सहायता केन्द्र अथवा संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के लखनऊ स्थित कार्यालय में उपस्थित होकर अधिक शुल्क की मांग करने वाली संस्था की लिखित शिकायत करते हुए उस संस्था में प्रवेश हेतु निर्धारित शुल्क जमा कर प्रवेश ले सकता है।

13. **प्रोवीजनल एडमिशन लेटर** –शुल्क जमा करने के पश्चात अपना प्रोवीजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड कर अपने पास सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थियों का आनलाइन प्रवेश पूर्णतया अस्थायी है। प्रवेशित संस्था में अभ्यर्थी निर्धारित तिथि (जिसकी घोषणा बाद में की जायेगी) को उपस्थित होंगे। संस्था में मूल अभिलेखों की पुनः जांच होगी। यदि कोई अभ्यर्थी अपात्र पाया जाता है तो संस्था में उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी के द्वारा परीक्षा शुल्क, बीमा शुल्क, छात्रावास शुल्क तथा अन्य शुल्क (में जो अन्तर हो) जमा करना होगा।

14. **Withdrawal from counseling process:** यदि कोई अभ्यर्थी वर्ष-2021-22 में काउन्सिलिंग के माध्यम से प्राप्त संस्था एवं पाठ्यक्रम में अध्ययन नहीं करना चाहता है तो अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के प्रथम से तृतीय चरण के मध्य दिनांक 17.09.2021 से 26.09.2021 तक आवंटित संस्था एवं पाठ्यक्रम को छोड़कर जमा सम्पूर्ण शुल्क (सिक्वोरिटी धनराशि एवं संस्था शुल्क) वापस ले सकता है। इस विकल्प का चयन करने के उपरान्त अभ्यर्थी इस शैक्षिक सत्र में प्रवेश लेने से पूर्णतया वंचित होगा एवं किसी भी दशा में वापस काउन्सिलिंग प्रक्रिया में शामिल न हो सकेगा। अतः उचित होगा कि अभ्यर्थी इस विकल्प के चयन से पूर्व भली-भाँति विचार करते हुए निर्णय ले।

(अ) शुल्क की वापसी अभ्यर्थी के बैंक खाते में ही की जायेगी। अन्य किसी खाते में शुल्क वापसी सम्भव नहीं हो सकेगी।

(ब) अभ्यर्थी अपने लॉगिन से “Withdrawal from counseling process” लिंक पर जाकर अपना स्वयं का बैंक विवरण यथा- खाता संख्या, आई0एफ0एस0 कोड, बैंक एवं शाखा का नाम भरेंगे। धनराशि की वापसी इसी बैंक खाते में की जायेगी।

(स) शुल्क वापसी की प्रक्रिया पूर्ण होने में 07 से 30 दिनों का समय लग सकता है।

अभ्यर्थियों हेतु विशेष निर्देश :

- चतुर्थ चरण से अगले सभी चरणों तक सीट आवंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी प्रवेश की प्रक्रिया पूरी कर निर्धारित शुल्क ससमय नहीं जमा करता है तो वह अन्तिम चरण तक की काउन्सिलिंग से बाहर हो जायेगा। अतः अभ्यर्थियों को यह विशेष निर्देश दिये जाते हैं कि वह अपने विकल्प सावधानीपूर्वक भरें और निर्धारित समय पर अभिलेख सत्यापित कराते हुए आनलाइन माध्यम से प्रवेश शुल्क अवश्य जमा कर दें।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ऐसे अभ्यर्थी जोकि शुल्क प्रतिपूर्ति/छात्रवृत्ति हेतु पात्र हैं और उनके माता-पिता की आय रू0 दो लाख तक है, यदि उनका प्रवेश राजकीय तथा अनुदानित संस्था में हुआ है (स्ववित्त पोषित सीटों को छोड़कर) तो उन्हें मात्र रू0 3000/- जमा करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी संस्था में उपस्थित होने पर यदि शुल्क प्रतिपूर्ति/छात्रवृत्ति हेतु पात्र नहीं पाये जाते हैं तो अवशेष शुल्क वे संस्था में जमा करेंगे।
- प्रथम तीन चरण में प्रवेशित अभ्यर्थी जोकि पूर्ण शुल्क आनलाइन जमा कर चुके हों, यदि वे चाहें तो अपना प्रवेश निरस्त करने हेतु अपने लॉगिन के माध्यम से विकल्प दे सकते हैं। इस स्थिति में उनकी सीट निरस्त करके उस सीट को अगले चरण की काउन्सिलिंग में सम्मिलित कर लिया जायेगा एवं अभ्यर्थी द्वारा जमा किया गया प्रवेश शुल्क अभ्यर्थी के खाते में आनलाइन वापस कर दिया जायेगा। प्रवेश निरस्त के पश्चात अभ्यर्थी वर्ष-2021 की काउन्सिलिंग प्रक्रिया से पूर्णतया बाहर हो जायेगा।

प्रथम चरण से तृतीय चरण तक की काउन्सिलिंग प्रक्रिया

प्रथम चरण से तृतीय चरण तक की काउन्सिलिंग के लिए केवल उत्तर प्रदेश की अर्हता रखने वाले, संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2021 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थी केवल एक चरण में ही विकल्प चयन कर सकेंगे। अगले चरणों में पूर्व में दिये गये विकल्पों के आधार पर ही सीट आवंटन किया जायेगा। अतः अभ्यर्थी विगत वर्ष की कटआफ (Opening & Closing Rank) का वेबसाइट <http://jeecup.nic.in> पर भली-भाँति अध्ययन करते हुए प्रवेश परीक्षा में प्राप्त रैंक के अनुसार सीट आवंटन की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए संस्था एवं पाठ्यक्रम का चयन करें।

चतुर्थ चरण एवं पंचम चरण तक की काउन्सिलिंग प्रक्रिया

चतुर्थ एवं पंचम चरण की काउन्सिलिंग में केवल संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2021 में उत्तीर्ण (तृतीय चरण तक जिनका प्रवेश न हुआ हो) एवं अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी तथा उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर (Other State) के सभी अभ्यर्थी जो प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हैं, पात्र होंगे। इन दोनों चरणों में अभ्यर्थी केवल 10-10 विकल्प भर सकते हैं। अभ्यर्थी को आवंटित सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य है, अन्यथा वह अन्तिम चरण तक की काउन्सिलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जायेगा। अतः अभ्यर्थी अपने वही विकल्प वरीयताक्रम में भरें, जिसमें वह प्रवेश लेने हेतु इच्छुक हों।

छठे चरण से अन्तिम चरण तक की काउन्सिलिंग प्रक्रिया

इस चरण में संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पालीटेक्निक)-2021 में सम्मिलित ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने तृतीय चरण तक किसी भी संस्था में प्रवेश नहीं लिया है अथवा चतुर्थ एवं पंचम चरण में कोई सीट आवंटित नहीं हुई है, वे राजकीय, अनुदानित अथवा निजी क्षेत्र की पालीटेक्निकों की रिक्त सीटों के विरुद्ध प्रवेश के लिए पात्र होंगे। छठे चरण से उन अभ्यर्थियों को भी प्रवेश का अवसर प्राप्त होगा, जोकि संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2021 में सम्मिलित नहीं हुए हैं। ऐसे अभ्यर्थी केवल अनुदानित एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए पात्र होंगे और इन अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन पूर्ण करना होगा। छठे से अन्तिम चरण तक अभ्यर्थियों हेतु केवल 01 विकल्प उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी को आवंटित सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य है, अन्यथा वह इस वर्ष की काउन्सिलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जायेगा। अभ्यर्थी अपने उसी संस्था एवं पाठ्यक्रम का चयन करें जिसमें वह प्रवेश लेने हेतु इच्छुक हों।

छठे चरण से अन्तिम चरण तक अभ्यर्थियों को सीट आवंटन के पश्चात आवंटित संस्था में जाकर डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन कराना होगा।

शुल्क-

काउन्सिलिंग द्वारा आवंटित अभ्यर्थी डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के पश्चात अपने लॉगिन से संस्था शुल्क प्रत्येक चरण में निर्धारित अवधि में ही आनलाइन जमा करेंगे। राजकीय एवं अनुदानित संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी पूर्ण शुल्क जमा करेंगे, परन्तु निजी पालीटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी अपने लॉगिन में उपलब्ध लिंक के माध्यम से रू0 3000/- आनलाइन जमा करेंगे तथा शेष शुल्क संस्था में प्रवेश की औपचारिकता पूर्ण करते समय जमा की जायेगी।

(राम रतन)
सचिव